(408)

(6) यदि द्वीप परिषद की सिफारिश को अनुमोदित नहीं किया जाता है अथवा सभी गाँवों की साधारण निकायों की विशेष बैठक में कोरम पूरा नहीं हुआ है, तो सभी गाँवों की साधारण निकायों में सिफारिश पर अनुमोदन प्राप्त करना असफल होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर या कोरम पूरा न होने के कारण सिफारिश पर विचार न किए जाने की तिथि से चीफ कैप्टेन के विरूद्ध नया अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा ।

(7) इस विनियम में समाविष्ट किसी बात के होते हुए चीफ कैप्टेन उप–धारा (2) के अंतर्गत द्वीप परिषद की बैठक तथा उप–धारा (4) के अंतर्गत गाँवों की साधारण निकायों की अध्यक्षता नहीं करेगा, लेकिन उसे इन बैठकों की कार्यवाही में बोलने अथवा भाग लेने का अधिकार होगा ।

वाइस चीफ कैप्टेन के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

64. (1) 15 दिनों की सूचना देते हुए द्वीप परिषद का कोई भी सदस्य वाइस चीफ कैप्टेन के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ला सकता है ।

(2) अविश्वास प्रस्ताव पर विचार–विमर्श करने तथा निर्णय लेने के लिए दिए गए प्रस्ताव की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर द्वीप परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाएगी ।

(3) यदि द्वीप परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का दो–तिहाई बहुमत द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है, तो वाइस चीफ कैप्टेन प्रस्ताव लाने की तिथि से अपना पदभार छोड़ देगा ।

(4) इस विनियम में समाविष्ट किसी बात के होते हुए भी वाइस चीफ कैप्टेन उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा जिसमें उसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हुई है, ऐसे प्रस्ताव में मतदान करने अथवा ऐसी कार्यवाही के किसी मामले में भाग लेने की उसे अनुमति नहीं होगी लेकिन उसे इस बैठक की कार्यवाही में बोलने अथवा भाग लेने का अधिकार होगा ।

अनियत रिक्ति

65. चीफ कैप्टेन अथवा वाइस चीफ कैप्टेन के कार्यालय की अनियत रिक्ति को इस विनियम के उपबन्धों के अनुसार चुनाव द्वारा शेष कार्यकाल के लिए भरा जाएगा ।

बशर्ते कि यदि चीफ कैप्टेन के कार्यालय के लिए सीट, महिला के लिए आरक्षित है तो महिला को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति इस रिक्ति में चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा ।

द्वीप परिषद के अधिकारी तथा कर्मचारी

66. (1) प्रशासक प्रत्येक द्वीप परिषद के लिए अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के उपयुक्त रैंक के अधिकारी को कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदनामित अथवा नियुक्त करेगा ।

(2) प्रशासक यदि आवश्यक समझते हैं तो वह समय–समय पर अंडमान तथा निकोबार प्रशासन में सेवारत वर्ग 'ख' या वर्ग 'ग' या वर्ग 'घ' के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को द्वीप परिषद के अधीन तैनात कर सकेगा ।

(3) इस विनियम में समाविष्ट अथवा किसी अन्य विधि में तत्समय के लिए लागू किसी बात के होते हुए भी प्रशासक अथवा कोई अधिकारी को अथवा अन्य प्राधिकारी, जिसे उसने प्राधिकृत किया है, को एक द्वीप परिषद में तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दूसरे द्वीप परिषद में अथवा अंडमान तथा निकोबार प्रशासन में स्थानांतरण करने की शक्ति प्राप्त होगी ।

(4) द्वीप परिषद यदि आवश्यक समझता है, ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है;

बशर्ते कि यह प्रशासक के बिना पूर्व अनुमोदन के कोई पद का सृजन नहीं करेगा ।

कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों के कार्य

67. (1) इस विनियम के द्वारा या इसके अंतर्गत अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, कार्यपालक अधिकारी करेंगे–

(क) उसको विशेष तौर पर अधिरोपित अथवा उसको प्रदत्त अथवा इस विनियम के अंतर्गत तत्समय के लिए किसी अन्य विधि के अंतर्गत सभी शक्तियों का प्रयोग ;